(कृपया ज्ञापन मूलतः उत्तर सहित वापिस करें)

कमांक / ले.प.द–11 / 68 दिनांक 26/10/17

विषयः– महाविधालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के सन्दर्भ में।

म0प्र0 विश्वविधालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत जारी स्टेच्यू कमांक 28 की धारा 17 (1) के अनुसार किसी भी अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविधालय में प्राचार्य, शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना म0प्र0 अशासकीय शिक्षण संस्थान (अध्यापको तथा अन्य कर्मचारीयों के वेतनों का संदाय) अधिनियम 1978 के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार ही की जावेगी। धारा 17 (2) के अनुसार अशासीय अनुदान अप्राप्त संस्थाओं में प्राचार्य, शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक स्टाफ की पदस्थापना हेतु विश्वविधालय स्तर पर कुलपति या उसके नामाकिंत ब्यक्ति की अध्याक्षता में समिति बनायी जावेगी एंव निर्धारित प्रकिया का अनुसरण कर नियुक्ति की जोवगी।

म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन के आदेश कमांक / एफ–73 / 57 / 383–3 / 99 दिनांक 28.10.1999 के द्वारा अनुदान प्राप्त महाविधालयों में भर्ती पर प्रतिबंध लगाया गया है जो अनवरत जारी है।

विश्वविधालय से संबद्व ऋषिगालव महाविधालय मुरैना में उपरोक्त प्रतिबंध की तिथि के पश्चात दिनांक 20.01.2000 को अनुमादित आदेश से सहायक प्राध्यापक वाणिज्य की एंव दिनांक 29.01.2000 को अनुमादित आदेश सहायक प्राध्यापक भौतिकी की नियुक्ति की गई है इसी प्रकार माधव महाविधालय ग्वालियर में दिनांक 14.09.2001 को अनुमोदित आदेश से सहायक प्राध्यापक हिन्दी की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां प्रतिबंध आदेश के बाद जारी की गई है इसके संबध में विश्वविधालय की भूमिका एंव की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

कृपया नियुक्ति से संबधित समिति के सदस्यों की जानकारी, समिति की नियुक्ति संबधी अनुसंशा से संबधित अभिलेख लेखापरीक्षा को जांच हेतु प्रस्तुत करें।

वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी
ले.प.द–11

प्रति,

कुलसचिव
जीवाजी विश्वविधालय
ग्वालियर

प्रति.
1. प्राचार्य महर्षि गालव महाविधालय मुरैना
2. प्राचार्य माधव महाविधालय, ग्वालियर
कृपया चाही गई जानकारी कार्यालय को आज ही उपलब्ध करावें।
26/10/17